मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- जजों की संख्या देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है देखने को 3
- धर्मनिरपेक्षता का मखौल बनाम वास्तविक धर्मनिरपेक्षता 4
- तेरे टर्न ओवर से हमारा क्या काम लाला रामदेव 5
- जाट आरक्षण के सबक 5
- यानी लफ़्फ़ाजी से बाज नहीं आ सकते भाजपाई मंत्री 8

वर्ष 29 अंक 12 फरीदाबाद, रविवार 1-15 मई 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

जस्टिस बिंदल, विधायक गोयल ने दिलाया 'न्याय'

काश यह सभी के लिये संभव होता!

16-17 की रात को पुलिसिया कहर के शिकार हुए अंकुर जैन व प्रशान्त जैन को जब स्थानीय न्याय पालिका एवं पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो चंडीगढ़ से अचानक निरिक्षण पर आये जस्टिस राजेश बिंदल ने सारे केस को देख कर दोनों को तुरंत राहत पहुंचाई। उधर स्थानीय विधायक विपुल गोयल ने उच्च स्तर पर दखल देकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरु करा दी है। काश ऐसा त्वरित न्याय सभी को सुलभ हो पाता!

मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद ब्यूरो

मामला 16-17 की मध्य रात्रि करीब 12 बजे का है। पुलिस के अनुसार अंकुर व प्रशान्त अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद एक ढाबे पर पहुंचे। यह ढाबा मथुरा रोड से अदालतों की ओर जाने वाली सड़क के नुक्कड़ पर है। सड़क के ढाबे वाली साइड थाना सेन्ट्रल में तथा दूसरी साइड थाना सेक्टर 7 के इलाके में पड़ती है। खाना खाने आई मित्र मंडली सेक्टर 7 वाली साइड में खड़े हो कर आपस में कुछ इस तरह बहस कर रहे थे जैसे झगड़ रहे हों। किसी राहगीर ने इस बाबत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया। थाना सेक्टर 7 के तहत पुलिस चौकी सेक्टर 11 की एक पीसीआर जिप्सी पहुंच गयी। इसमें एक ईएएसआई के अतिरिक्त 2 जवान आई आरबी (इंडिया रिर्जव बटालियन) के थे।

खाना खाने आये मित्र अपने नशे में थे तो पुलिस अपने नशे में। मामूली कहा-सुनी से मारपीट की नौबत आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। पहली पीसीआर वालों के जब ये मित्रगण काबू नहीं आये तो थाना सेन्ट्रल व सेक्टर 7 की 3 अन्य जिप्सियां भी मौके पर पहुंच गयी। पुलिस की संख्या बढती देख कर बाकी मित्र तो भाग खड़े हुए, अंकुर और प्रशान्त पुलिस के हत्थे चढ गये। दोनों को सेक्टर 11 पुलिस चौकी ले जाया गया।

एसएचओ भरत सिंह के छुट्टी पर होने के चलते थाने की कमान एस आई याकूब के हाथ में थी। देर रात ढाई बजे उन्हें सारे मामले की सूचना दी गयी। याकूब ने सख्त हिदायत दी कि बदले की कोई कार्यवाही (मार-पिटाई) किये बिना इनका मेडिकल करवा कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाय।

यदि मामला ज़्यादा गंभीर न हो तो 61-1-14 (शराब पीकर हल्ला-गुल्ला करने) का केस दर्ज कर दिया जाय। जवाब में चौकी इंचार्य ने कहा कि उग्र सिपाही मानने को तैयार नहीं हैं और उसे भी गालियां दे रहे हैं इस पर याकूब ने कहा कि फ़िर वह एसीपी या डीसीपी से बात करे। इसी बीच चौकी वालों ने अंकुर और प्रशान्त की जम कर पिटाई कर दी, जाहिर है पुलिस वालों ने बदले की कार्यवाही तो करनी ही थी सो कर दी। इसके साथ-साथ दोनों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332,353, व 185 आदि के तहत एक मुकदमा भी दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया।

17 तारीख (रविवार) को जब ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिये दोनों को हवालात से निकाला जा रहा था तो एस आई याकूब ने अंकुड़ का लंगड़ाना देख कर चौकी वालों से पूछा तो उन्होंने रात के झगड़े का गोल-मोल जवाब दे दिया। याकूब ने उन्हें फ़िर से मेडिकल कराने का आदेश भी दिया। उन्हें बी के अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल कराया गया जिसमें उनके शराब पीये हुए की बात तो लिखी है परन्तु किसी चोट का ज़िक्र नहीं था। शराब पीये हुए की पुष्टि के लिये न तो खून की जांच कराई गयी और न ही पेशाब की। जाहिर है यह मेडिकल रिपोर्ट फ़र्जी थी और पुलिस वालों की मिलीभगत से लिखी गयी थी। इसके बाद 'दखल' शुरू होता है न्यायपालिका का। रविवार का दिन होने की वजह से अंकुर व प्रशान्त को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट छवि गोयल के सामने पेश किया गया। उन दोनों के वकील साहब एन के गर्ग (पूर्व अध्यक्ष ज़िला बार एसोसिएशन) ने अंकुर की चोटें दिखाते हुए कोर्ट को लिखित आवेदन दिया कि इनकी मेडिकल जांच कराई जाय। एन के गर्ग के अनुसार उस वक्त पुलिस ने वह फ़र्जी मेडिकल भी पेश नहीं किया था। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने वकील साहब की दरखास्त व घायल अंकुर की ओर कोई ध्यान दिये बिना उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेज दिया। ज़िला अदालत के वकीलों का कहना है कि पुलिस के विरुद्ध इस तरह की दरखास्तें मैजिस्ट्रेटों द्वारा अक्सर खारिज कर दी जाती हैं।

अगले दिन दोनों अभियुक्तों को इलाका मैजिस्ट्रेट नेहा गोयल की अदालत में बाद दोपहर पेश किया गया। लेकिन मेडिकल कराने की बजाय वही फ़र्जी मेडिकल पेश कर दिया गया जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। नेहा गोयल ने भी जब इन दोनों की फ़रीयाद अनसुनी करके इन्हें फ़िर से जेल भेजने की तैयारी कर दी तो गर्ग वकील साहब उस दिन अचानक आये हाई कोर्ट जज राजेश बिंदल के सामने जा पेश हुए।

जस्टिस बिंदल ने तुरंत केस फ़ाइल को मंगाया, देखने के बाद सम्बन्धित अदालत को निर्देश दिये। इसके बाद दोनों की जमानत हो गयी तथा डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा अंकुर की मेडिकल जांच के आदेश हुए। इस मेडिकल जांच में अंकुर के शरीर पर 9 चोटें पाई गयी। सबसे खराब हालत उसकी टांगों की थी। हड्डी तो बेशक कोई टूटी नहीं थी लेकिन मांशपोशियां इस कदर रगड़ रखी थीं कि चलना मुश्किल था। करीब 4 दिन अंकुर को सर्वोदय अस्पताल में रहना पड़ा लेकिन उसके बाद और चार दिन तक भी वह ठीक से चलने लायक नहीं था।

सारा मामला क्षेत्र के विधायक विपुल गोयल के ध्यान में भी लाया गया। उस समय वे चंडीगढ़ में थे। वहीं से फ़ोन करके दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिये सी पी को कहा। इसके बाद पुलिस महकमे में कुछ हलचल हुई। इलाके के डीसीपी व अन्य अधिकारी अंकुर का बयान लेने उनके घर पहुंचे और उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया। इसके अलावा मेडिकल जांच के नाम पर घोटाला करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिये विधायक ने सीएमओ को कहा।

इस सारे मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या न्याय एवं राहत उन्हीं लोगों के लिये सम्भव है जो किसी हाईकोर्ट जज एवं विधायक तक पहुंच सकते हैं? ज़िला स्तर पर तैनात दर्जनों जज केवल पुलिस का ही पक्ष मानने के लिये बाध्य क्यों रहते हैं? पेश होने वाले किसी भी अभियुक्त की बात को सुनना व उचित मेडिकल जांच जैसी मौलिक सुविधा भी जब ये जज साहेबान उपलब्ध नहीं करा सकते तो काहे की न्यायपालिका और काहे का न्याय रह जाता है आम आदमी के लिये?

जज मामा का योगदान भी रहा

चर्चा इस बात की भी है कि अंकुर जैन के मामा (मां की बूआ का बेटा) भी हाई कोर्ट के जज हैं। जब उन्हें अंकुर पर हुए पुलिसिया अत्याचार की सूचना मिली तो उन्होंने भी अंकुर को बड़ी राहत दिलाने में मदद करी। अच्छी बात है, एक जज ने किसी आम आदमी को न सही अपने भान्जे को तो राहत दिलाई ही। कहने वाले तो बिंदल साहब के औचक निरीक्षण को भी औचक न मान कर इसी घटना से जोड़कर देखते हैं।

ख़बर दार

एक कुंभकर्ण का अरण्य रोदन...

पौराणिक कुंभकर्ण तो फ़िर भी 6 माह में नींद से उठ जाता था, पर भारत की न्यायपालिका जिस गहरी तंद्रा में लीन है उसे उठा पाना आसान नहीं। फ़िर भी वर्ष में एक ऐसा मौका आता है जब उन पर लाखों की संख्या में मुकदमे लम्बित रखने का आरोप लगता ही है। यह अवसर होता है देश के तमाम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का। बीते पखवाड़े जब इस सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर बोलने खड़े हुए तो उनकी आंखों में इस बात पर आंसू आ गये कि न्यायपालिका में बड़ी संख्या में रिक्तियों के चलते मुकदमों का ढेर बढता जाता है। इस तरह इस बार भी हर साल की कहानी दोहराई गयी। राजनीतिकों की ओर से न्यायपालिका को देरी के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया और न्यायपालिका की ओर से जवाब में जजों की कमी का रोना रोया गया। इस सम्बन्ध में 'मज़दूर मोर्चा' ने भारत के मुख्य न्यायाधीश ठाकुर का काल्पनिक साक्षात्कार लेने की जुर्रत की।

म.मो.-लॉर्डशिप पहले तो हमारे पाठकों को यह बताइये कि आप लोग लॉर्ड किसके हैं?

ठाकुर-हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। कब अदालत लगायें, कब फ़ैसला दें, कितनी तारीखें लगायें, कितनी छुट्टियां काटें। किसे सुनें या न सुनें, सब हम ही तो तय करते हैं। लिहाज़ा, लॉर्ड हुए या नहीं,

म.मो.-पहले तो आप लोग मुकदमों पर सिर्फ़ सोते रहते थे। अब आपने रोना भी शुरू कर दिया? जब आप ही रोयेंगे तो देश की बेचारी जनता कहां जायेगी?

ठाकुर-रोना तो मैं भी जानता हूं किसी समस्या का समाधान नहीं। मुझे रोना इस बात पर आया भी नहीं कि मुकदमे इतनी बड़ी संख्या में लम्बित पड़े हैं। मैं तो इस बात पर रोया कि हर साल इस कांफ्रेंस में एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका एक ही घिसा पिटा जवाब हमें देना पड़ता है। न सवाल पूछने वाले इसे बदलते हैं और न हम जवाब में कुछ बदल सकते हैं। क्या यह किसी भी गैरतमंद इन्सान के लिये रोने वाली स्थिति नहीं है?

म.मो.-लेकिन फ़िर भी आप रोये क्यों? बिना रोये भी तो पुराने वाला जवाब दे सकते थे।

ठाकुर-कहते तो आप ठीक हैं। लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ तो बोलना चाहिये। और कुछ नहीं तो माहौल ही बदल देते हैं। वैसे सही-सही बताना कि मेरे रोने का असर कितना पड़ा? मीडिया में तो खैर फ़्रंट न्यूज थी ही।

म.मो.-आप किस असर की बात कर रहे हैं योर ऑनर? फ़र्क तो जनता को पड़ना चाहिये न। लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय मिलना शुरू हो तो माना जायेगा। कि कुछ फ़र्क पड़ा है।

ठाकुर-अरे भाई धीरे बोलो। कहीं वकीलों ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जायेंगे। अगर न्याय सस्ता और त्वरित हो गया तो इनकी मोटी कमाई का क्या होगा? हम जज भी तो पहले वकील ही तो होते हैं। हमें पता है कि कमाई कैसे होती है। फ़िर अगर सभी को सस्ता और त्वरित न्याय मिल गया तो ऐसे में धन की और वह भी काले धन की भला क्या इज्जत रह जायेगी। काले धन से तो आप जानते ही हो, मोदी जी भी मुकाबला नहीं कर पाये, फ़िर भला मेरी क्या बिसात!

म.मो.-मोदी जी ने कहा कि आप लोग छुट्टियां बहुत मनाते हैं, जिससे मुकदमों का ढेर बढ़ता जाता है।

ठाकुर-मोदी जी को शायद पता नहीं कि अधिकांश जज अदालत में भी छुट्टियां ही मना रहे होते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जज जितना अदालत में बैठेंगे उतना मुकदमों का ढेर बढेगा। असली कमाई तो नये मुकदमों के दाखिल होने से ही होती है। क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जितने कम जज होंगे उतने ही कम मामले अदालतों में आयेंगे। यानी जब बांस ही न होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। पर ये बातें हम सबके सामने तो नहीं कह सकते। लिहाज़ा थोड़ा सा रोकर गुजारा कर लिया।

माल्या का पासपोर्ट रद्द, अब तो 'जरूर पकड़ा जायेगा'

नौ हज़ार करोड़ का कर्ज डकार कर भगोड़े हुए पूंजीशाह विजय माल्या के वकीलों ने उसकी सफ़ाई में अजीब सा तर्क लिया है। उनके अनुसार माल्या को डर है कि अगर वह भारत वापस आया तो उसे भी सहारा श्री (सुब्रतराय) की तरह जेल में बंद कर दिया जायेगा। यानी, दूसरे शब्दों में एक जालसाज़ डकैत देश की सरकार और सर्वोच्च न्यायपालिका से इस बात की गारन्टी मांग रहा है कि उसे जेल नहीं भेजा जायेगा।

समझ में नहीं आता कि एक भगोड़े अपराधी को जेल न भेजा जाय तो कहां भेजा जाय? दरअसल भारत की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था इस कदर बिक चुकी है कि माल्या जैसा व्यक्ति फ़र्जी साख के सहारे हज़ारों करोड़ की रकम बैंकों से प्राप्त करता है और फ़िर उनमें से कुछ सौ खर्च कर राज्य सभा की सीट हथिया लेता है। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि बड़े राजनेता और मीडिया बादशाह माल्या के पंचसितारा एय्याश आतिथ्य का खुल कर उपभोग करते रहे और बदले में उसे बैंकों से मनचाहा 'कर्ज' दिलवाते रहे।

शेष पेज दो पर